166

273

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....

जय प्रकाश एशोसिएट्स लिमि.कं. जे.पी. सीमेन्ट प्लान्ट मझिगवां, जिला–सीधी म0प्र0

R 1859-I/12

.... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

अशोक सिंह तनय श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी बिहारगंज, तहसील रामनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश।

अधिवक्ता श्री राजकुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत रीवा, दिनांक 7-06-2012

5.6.12

.... गैरनिगराकार / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला **सतना प्रकरण** क्र. 161 / निगरानी / 11–12, **आदेश दिनांक** 09.05.12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 MPLRC 1959

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :–

1. यह कि निगरानीकर्ता / आवेदक की ओर से आराजी नंबर 69 / 1क, 69/1ख 69/1ङ, 69 / 2, 69 / 3, 69 / 1ग, 11 / 2क, 11 / 2ख, 11 / 2ग, 11 / 3, 11 / 3क, 11 / ख एवं 11 / 1ड़ के नक्शा तर्मीम बावत आवेदन पत्र तहसीलदार रामनगर जिला सतना की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसीलदार महोदय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक ने सरहदी काश्तकारों सहित अनावेदक को सूचित कर व मौके पर जाकर नक्शा तर्मीम का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षों की सुनवाई, आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रकरण क्र. 16 / अ–5 / 09–10 में आदेश दिनांक 14.07.10 पारित किया गया।

Y. C. Srivastava

(166)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1859–I / 12** जिला–सतना

जयप्रकाश एसो0 मझिगवा / अशोक सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 161 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	